भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :1398

दिनांक 10 फरवरी, 2022/ 21 माघ, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध

1398. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री विद्युत बरण महतो:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए फरवरी तक भारत से बाहर के देशों/तथा बाहर के देशों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रतिबंध किन-किन देशों पर लागू है;

(ग) क्या सरकार का 'एयर बबल' के तहत जारी उड़ानों को जारी रखने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन देशों के नाम क्या है जिनके साथ भारत का द्वीपक्षीय एयर बबल व्यवस्था है;

(ड.) क्या इस प्रकार द्वीपक्षीय व्यवस्था के तहत और देशों को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा अपनायी गई निलंबन की नीति के कारण एयरलाइन कम्पनियों को भारी नुकसान हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एयर कम्पनियों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): भारत के लिए/से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाएं कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए दिनांक 22.03.2020 से निलंबित हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने दिनांक 19.01.2022 के परिपत्र द्वारा इस निलंबन को 28.02.2022 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध सभी देशों के लिए लागू है। हालांकि, वंदे भारत मिशन (एयर बबल व्यवस्था सहित) के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानें चालू हैं।

(ग), (घ) और (ङ): एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें तब तक जारी रहेंगी जब तक भारत के लिए/से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाएं निलंबित रहती हैं। दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार, भारत की 35 देशों के साथ एयर बबल की व्यवस्था है। देशों की सूची अनुलग्नक-क में उपलब्ध है। सरकार समय-समय पर मौजूदा एयर बबल व्यवस्थाओं की समीक्षा करती है और साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहमति लेने के बाद कोविड - 19 स्थिति, यात्री की मांग और संबंधित देश के साथ जोखिम कारकों के आकलन को ध्यान में रखते हुए नई हवाई यात्रा बबल व्यवस्था को औपचारिक रूप देती है।

(च) वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में एयरलाइनों को हुई अनुमानित हानि लगभग 19,564 करोड़ रुपये हैं।

सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों में विदेशों के साथ 35 एयर बबल व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देना शामिल है, जो भारतीय वाहकों को इन देशों के लिए/से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति देते है। इसके अतिरिक्त, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विमानन क्षेत्र के उधारकर्ताओं ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत गारंटी सहायता का लाभ उठाया है, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1398 से संबंधित अनुलग्नक-क

उन देशों की सूची जिनके साथ एयर बबल व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है

1.	अफ़ग़ानिस्तान
2.	ऑस्ट्रेलिया
3.	बहरीन
4.	बांग्लादेश
5.	भूटान
6.	कनाडा
7.	इथियोपिया
8.	फिनलैंड
9.	फ्रांस
10.	जर्मनी
11.	इराक
12.	जापान
13.	कजाखस्तान
14.	केन्या
15.	कुवैत
16.	मालदीव
17.	मॉरीशस
18.	नेपाल
19.	नीदरलैंड
20.	नाइजीरिया
21.	ओमान
22.	कतर
23.	रवांडा
24.	रूस
25.	सऊदी अरब
26.	सेशल्स
27.	सिंगापुर
28.	श्रीलंका
29.	स्विट्ज़रलैंड
30.	तंजानिया
31.	संयुक्त अरब अमीरात
32.	यूके
33.	यूक्रेन
34.	अमेरीका
35.	उज़बेकिस्तान